न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी बज्जू

पीठासीन अधिकारी:– सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:– ..../2026

जगदीश पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, बज्जू।

.......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2. राजपेरोकार स्टेट की ओर से

:: निर्णय ::

दिनांक:– 2/6/2026

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट 1956 के तहत खाता दुरुस्ती हेतु प्रार्थी जगदीश पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर द्वारा स्वयं उपस्थित होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जगदीश पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर के नाम से संयुक्त खाते में कृषि भूमि चक 5–6 पीडब्लूएम के खाता संख्या 93 में जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि से दर्ज होने से पीछे छूट गया है, जबकि गिरदावरी व पुराने सभी राजस्व दस्तावेज में प्रार्थी का नाम दर्ज है, जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में नामान्तरण संख्या 52 दिनांक 20.05.2013 की प्रति, जमाबंदी, गिरदावरी, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की प्रतियां को पेश किया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों तथा पैरोकाराज द्वारा अनुशंषा दिनांक 01.06.2026 के द्वारा अनुशंषा के आधार पर स्पष्ट होता है कि उपनिवेशन नामान्तरण संख्या 52 में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र बुधराम नाम दर्ज था, परन्तु आगे किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है। नामान्तरण संख्या 52 के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों, राजपैरोकार की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 52 के अनुसार खाता संख्या 93 की कृषि भूमि में प्रार्थी जगदीश पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर के नाम दुरुस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तददानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती कर उपरोक्तानुसार रिकॉर्ड में अंकन करे। तहसीलदार भू.अ. बज्जू को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक ...2/6/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

(सांवरमल रैगर)
उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला बीकानेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू (बीकानेर)